न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :—567/2018—19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा — 46)

सुमी देवी — विक्रेता

लोजो स्वांसी — क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
10.01.20	**आदेश**	

आवेदक सुमी देवी पिता स्व0 बुधू स्वांसी ग्राम—कदमा, पोस्ट—खूँटी, थाना खूँटी जिला खूँटी ने लोजो स्वांसी पिता दुखन स्वांसी ग्राम—डाँगियादाग, पोस्ट—तारोसिलादोन, थाना—खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
तिरला	78	19	197	0.10

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0139476775 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 640 दिनांक 22.07.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला सं0— 179/172 दिनांक 12.02.2011 द्वारा क्रय किया है। खतियानी रैयत का नाम पदुम लोचन हैं। पंजी II के अनुसार मोसमात सुमी देवी के नाम भूमि का रकवा 3.54½ एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 3.54½ एकड भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018—19 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 20710.00(बीस हजार सात सौ दस)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 3.44½ एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही जिला खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता—विक्रेता को भूमि क्रय—विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के द्वारा प्रस्तुत कागजात अवलोकन किया। खतियान के कैफियत कॉलम सं0 17 में रैयत शम्भुनाथ मिश्रा जरपेशगी दर्ज पाया गया। उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, खूँटी से जांच प्रतिवदेन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, खूँटी का पत्रांक 22 दिनांक 09.01.20 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन के अनुसार खाता सं0 19 प्लॉट सं0 197, रकबा 4.69 एकड़ भूमि कैफियत कॉलम सं0 17 में रैयत शम्भुनाथ मिश्रा जरपेशगी बसरह सं0 106 दर्ज है तथा बसरह सं0 106 दर्ज है तथा (बसरह) प्लॉट सं0 106, रकबा 3.22 एकड़ भूमि खतियान के कौलम सं0 17 मं वकज्बे शम्भुनाथ मिश्रा वल्द रामलाल नायक कौम ब्रह्मण साकिन डहुगुटु जरपेशगी मो0 350 तीन सौ पचास रूपये पट्टा रजिस्ट्री ता0 10/8/28 ई0 है। भैयाद 5 साल सम्वत 1985 साल लगाएत 1989 तक निकासारी दर्ज है। एवं पंजी II में मोसमात सुमी देवी पिता स्व0 बुचु स्वांसी के नाम से खाता सं0 19 प्लॉट सं0 197, रकबा 0.24 एकड़ भूमि का दा0खा0 वाद सं0 736R 27/10—11 के द्वारा स्वीकृत किया गया है एवं पंजी II के पेज सं0 44/II में दर्ज है। भूमि जरपेशगी से मुक्त है सुमी देवी क द्वारा उक्त भूमि को बिक्री हेतु अनुशंसा किये है।

अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण सुमी देवी पिता स्व0 बुधू स्वांसी को लोजो स्वांसी पिता दुखन स्वांसी के साथ ग्राम तिरला के खाता सं0 19 खेसरा संख्या 197 कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 20710.00(बीस हजार सात सौ दस)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 10/01/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

(हस्ताक्षर) 10/01/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।